उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग2-
संख्या-512/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(179)-2021

लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद्द्वारा,अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(09)-2017 दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 3 में, स्तम्भ (3) में, मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) के समक्ष, स्तम्भ (5) की शर्तों में, चौथे परंतुक में,स्पष्टीकरण में,खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(iii) भू-स्वामी-प्रमोटर, ऐसी परियोजना में भू-स्वामी-प्रमोटर द्वारा पूर्ति किये गये अपार्टमेंट कर संदाय हेतु, डेवलपर-प्रमोटर द्वारा प्रभारित कर-प्रत्यय का उपयोग करने के लिये पात्र होगा।";

(ख). क्रम संख्या 25 में ,-

(i) स्तम्भ (3) में, मद (iक) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(iख) जहाज और अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिग की सेवाएं	2.5	-"

(ii)स्तम्भ (3) में, मद (ii) में, , शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "और (iक)" के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द, ", (iक) और (iख)" रख दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव